

कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक: / 3211 / कोरोना / 2020
प्रति,

रायगढ़, दिनांक: 16 / 04 / 2020

श्री बृजेश कुमार यादव
आत्मज स्व. ओंकार यादव
स्थायी निवासी-ग्राम रामपुर पो.ढीमरखेड़ा
तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

विषय:- अपनी माँ मालती पति ओंकार यादव के आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण शव को वाहन क्रमांक CG-02-7757 द्वारा ग्राम-रामपुर, पो.-ढीमरखेड़ा, जिला-कटनी, म0प्र0 ले जाने की अनुमति बाबत।

संदर्भ:- आवेदक बृजेश कुमार, का आवेदन पत्र दिनांक 16-04-2020

-00-

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर श्री बृजेश कुमार, वर्तमान पता ग्राम-हाटी, तह.-धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया गया है कि उनकी माता मालती, पति- ओंकार, उम्र 62 वर्ष, बहुत लंबे समय से बीमार थी, जिनका तबीयत अधिक खराब होने के कारण जिला चिकित्सालय रायगढ़ में ईलाज कराया जा रहा था, जिनका इलाज के दौरान दिनांक 16.04.2020 को प्रातः 04.00 बजे देहान्त हो गया है।

अतः आवेदक को अपने मृतक माता के शव को वाहन क्रमांक CG-02-7757 द्वारा झाइवर ज्योतेश्वर एवं उमाभारती तथा रबिता, संजय, देवकुमारी सहित ग्राम-रामपुर, पो.-ढीमरखेड़ा, जिला-कटनी, (मध्यप्रदेश) जाने हेतु अनुमति शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश एवं एडवायजरी के पालन करने की शर्तों के अधीन दी जाती है। लॉकडाउन अवधि में वापस आने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन के बाद वापस आने पर क्वारंटाइन होना पड़ेगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ0क्रमांक: 3211 ए / कोरोना / 2020
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक: 16 / 04 / 2020

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-कटनी (मध्य प्रदेश) को सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ को सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला- कटनी (मध्य प्रदेश) को सूचनार्थ।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)